(30)

III/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/2886 (137)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

Rs-30/-

1-रज्जन कुमार पाण्डेय तनय श्री राम मोहन पाण्डेय उम्र-32 वर्ष

2-पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेंय तनय श्री राम मोहन पाण्डेय उम्र-25 वर्ष

(दोनो निवासी ग्राम मढ़ी तहसील हुजूर जिला रीवा मप्र0)

अधि0 श्री अशोक सिंह
रीवा 26.8.17

--निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

ब्नाम

सोहन लाल पाण्डेय तनय स्व0 श्री लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेय उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम मढ़ी तहसील हुजूर जिला रीवा मप्र0

--गैरनिगरानीकर्ता /अनावेदक

नायब तहसीलदार वृत्त बनकुंइया तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक293अ-6/16-17में पारित आदेश दिनांक 8-8-17 के विरूद्ध निगरानी याचिका अंतर्गतधारा -50 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार

निगरानीकर्ता/आवेदकगण का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है-

1- आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत नामांतरण आवेदन में कार्यवाही स्थगित करनें संबंधी जिस तरह का आदेश दिया गया है वह किसी भी दृष्टिकोण से विधि सम्मत नहीं है । अपील प्रस्तुत होने के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही स्थगित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है इस कारण निगरानीशुदा आदेश हर दृष्टिकोण से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यह तथ्य निर्विवादित है कि ग्राम मढ़ी जनरल नम्बर 490 तहसील हुजूर जिला रीवा स्थित भूमि खसरा कमांक 49/1 रकबा 0.42 एकड़, 50/1

(30)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/रीवा/भू–रा0/2017/2886 जिला–रीवा

सज्जन कुमार पाण्डेय/सोहनलाल पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार, वृत्त बनकुइयां, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 29/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	